

SAMVARDHINI :- 30/07/2024

Volume – 6

Issue – 1

(ISSN ONLINE:- 2583-7176)

<https://samvardhini.in>

राष्ट्रीय शिक्षा-नीति, २०२० के परिप्रेक्ष्य में शिशु, शिक्षा एवं शिशु-शिक्षा

लेखक

डॉ. चान्दकिरण सलूजा

शोधसार -



राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस तथ्य का विशेष उल्लेख किया गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के पाठ्यक्रम और शिक्षण-विधि का उत्तरदायित्व सीधे मानव संसाधन विकास मंत्रालय का होगा ताकि प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से पूर्व-प्राथमिक विद्यालय तक इसकी निरंतरता सुनिश्चित की जा सके और शिक्षा के मूलभूत पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके। प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-भाल और शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम के आयोजन एवं क्रियान्वयन हेतु दायित्व का निर्वहन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जन-जातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के सुचारु रूप से एकीकरण एवं सतत मार्ग-दर्शन के लिए एक विशेष संयुक्त कार्य बल का गठन किया जाना चाहिए। इसके लिए शिक्षक-प्रशिक्षण का दायित्व मुख्य रूप से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् को सौंपा गया है। इसी के साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक रूपरेखा की सिद्धता का दायित्व भी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् को ही सौंपा गया है।

कूटशब्दाः - राष्ट्रीय शिक्षा-नीति २०२०, शिशु-शिक्षा, ECCE, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल सम्बन्धी शिक्षा, पूर्व विद्यालयी शिक्षा

डॉ. चान्दकिरण सलूजा

निदेशक

संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान नई दिल्ली

प्रधानसम्पादक

संवर्धिनी

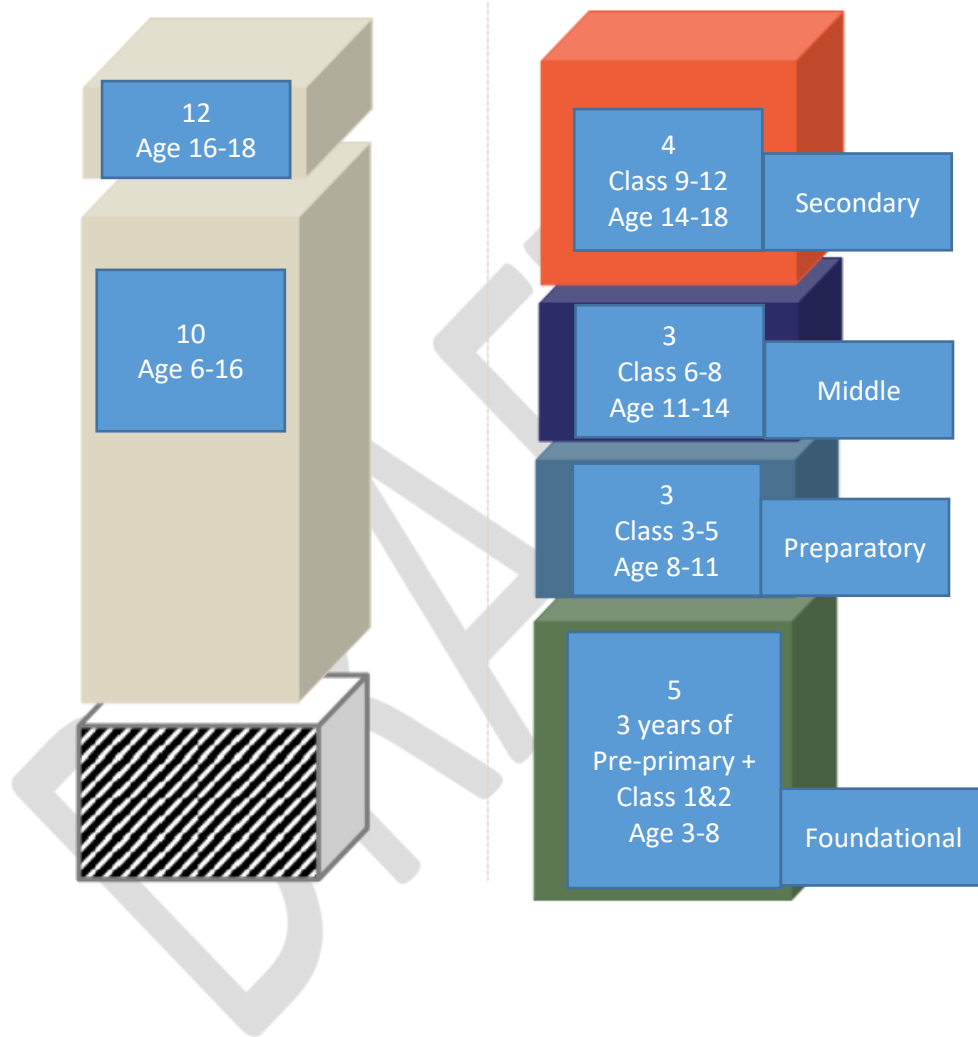
Email : - chandkiran_saluja@yahoo.co.in

प्रायः ज्ञात ही है कि वर्ष २०२० में उद्घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुमोदनों में ५+३+३+४ की शैक्षिक संरचना का अपना विशिष्ट स्थान एवं महत्त्व है। इस शैक्षिक संरचना की दो प्रमुख विशिष्टताएँ हैं –

१. सबके लिए पूर्व-विद्यालयी शिक्षा (कक्षा १ से पूर्व ३ वर्ष+प्रथम एवं द्वितीय कक्षा के २ वर्ष)

२. माध्यमिक शिक्षा का संयुक्त रूप (९-१२)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, २०२० में उल्लिखित ५+३+३+४ की इस शैक्षिक संरचना को निम्नलिखित रूप में देखा व समझा जा सकता है –



१०+२ प्रणाली

(पुरातनी)

५+३+३+४ प्रणाली

(प्रस्तावित नूतन)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, २०२० के इस शैक्षिक दृश्य परिवर्तन को यदि बुनियादी शिक्षा में बुनियादी परिवर्तन की बुनियाद कहा जाए तो सम्भवतः कोई अतिशयोक्ति न होगी। इस शिक्षा-नीति को, चाहे एक सरसरी दृष्टि से देखा अथवा पढ़ा जाए या फिर, गहन दृष्टि से देखा, पढ़ा तथा समझा जाए तो स्पष्ट रूप से यह

अनुभूत होने लगता है कि भारतीय संविधान का दर्शन ही इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार है अथवा होना चाहिए। यह शिक्षा-नीति, २०२० मानकर चलती है कि –

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है।

इसका उद्देश्य ऐसे रचनाशील लोगों को तैयार करना है जो भारतीय संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में उत्कृष्ट पद्धति से योगदान कर सकें।

दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, बहुलतावाद, समानता और न्याय जैसे नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों का विकास करना।

शिक्षा के उद्देश्यों की दृष्टि से इस शिक्षा-नीति में निहित समानता, न्याय, स्वतन्त्रता आदि की भावना मूल रूप से संविधान की भावना को ही अभिव्यक्ति करती है। तीन से आठ वर्ष तक की पूर्व-विद्यालयी पञ्च वर्षीय (३+२) शिक्षा इस शैक्षिक व्यवस्था को ८६वें संवैधानिक संशोधन के अन्तर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद ४५ के प्रावधान के सन्दर्भ में समझा जा सकता है। एतदनुसार राज्य छः वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के पूर्व बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने हेतु उपबन्ध करेगा –

45. Provision for early childhood care and education to children below the age of six years—The State shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six years.

(भारतीय संविधान, ८६वां संशोधन)

ध्यातव्य है कि इससे पूर्व यह पूर्व-विद्यालयी बाल्य शिक्षा प्रायः वैकल्पिक रूप में कुछ विद्यालयों तक ही परिसीमित थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, २०२० में इस प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल सम्बन्धी शिक्षा को सीखने की नींव/ आधार के रूप में देखा गया है। इसके महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए माना गया है कि इसे भारतीय संविधान के एक विशिष्ट आधारभूत सिद्धान्त अवसरों की समता के रूप में देखा जाना चाहिए। अतः इसके लिए ऐसा प्रबन्धन किया जाना चाहिए कि सभी बच्चे बिना किसी भेद-भाव के इसे प्राप्त कर सकें –

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा : सीखने की नींव

बच्चों के मस्तिष्क का 85 प्रतिशत विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है। बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसके आरंभिक 6 वर्षों को महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान समय में, विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के करोड़ों बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में निवेश करने से इसकी पहुँच देश के सभी बच्चों तक हो सकती है जिससे सभी बच्चों को शैक्षिक प्रणाली में भाग लेने और उन्नति करने के समान अवसर मिल सकेंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा संभवतया, समता स्थापित करने में सबसे शक्तिशाली माध्यम हो सकता है। प्रारंभिक बाल्य- अवस्था विकास एवं देखभाल शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को शीघ्रातिशीघ्र, निश्चय ही वर्ष 2030 से पूर्व, उपलब्ध किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले सभी बच्चे विद्यालयी शिक्षा के लिए सम्पूर्ण रूप से तैयार हो सकें। (रा.शि.नी., २०२०, अनुच्छेद १.१)

अत्यन्त ही स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, २०२० इस प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुए इसकी आवश्यकता के विभिन्न आयामों को प्रतिपादित करती है, यथा –

- सामाजिक समता हेतु आवश्यकता
- मनोवैज्ञानिक आवश्यकता
- शारीरिक-विकास हेतु आवश्यकता
- भाषिक विकास, शैक्षिक प्रक्रिया आदि के रूप में शैक्षणिक आवश्यकता

इसके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मानना है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, बहु-स्तरीय, खेल-आधारित, गतिविधि एवं खोजपूर्ण होनी चाहिए। यथा,

- अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार
- अन्तः एवं बाह्य खेल
- पहेलियाँ और तार्किक सोच
- समस्या सुलझाने की कला
- चित्रकला आदि अन्य दृश्य कलाएँ
- शिल्प, नाटक, कठपुतली, संगीत तथा अन्य गतिविधियाँ

इनके साथ ही निम्नलिखित प्रकार के विभिन्न कार्यों पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है,

यथा –

- सामाजिक कार्य
- मानवीय संवेदना
- अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता
- व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता
- सामूहिक कार्यों में भाग लेना
- परस्पर सहयोग की भावना का विकास

यह सम्पूर्ण परिदृश्य इस बिन्दु की ओर ध्यान आकर्षित करता है कि प्रारम्भिक बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा का समग्र उद्देश्य बच्चों के –

- शारीरिक/भौतिक विकास
- संज्ञानात्मक विकास
- सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास
- नैतिक विकास
- सांस्कृतिक विकास
- भाषाई विकास
- संवादात्मक विकास
- साक्षरता एवं संख्यात्मक विकास

से सम्बद्ध अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना है। इसी के स्वरूप को ही **समग्र-विकास** के रूप में देखा जाता है। प्रायः माना जाता है कि **‘एक सम्पूर्ण बच्चा ही कक्षा में प्रवेश करता है’**। इन सभी तत्त्वों को मूल रूप से वैश्विक स्तर पर उद्धोषित हुए बालाधिकारों यथा,

- शिक्षा का अधिकार
- भोजन का अधिकार
- प्रेम का अधिकार
- खेल का अधिकार
- स्वास्थ्य का अधिकार
- स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार
- सुरक्षा का अधिकार

आदि के सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूर्व-विद्यालयी शिक्षा को दो भागों में विभाजित किया गया है –

- I. प्रारम्भिक तीन से छः वर्ष तक की शिक्षा। इसे आँगनवाड़ी, बालवाटिका अथवा आश्रम के रूप में देने की चर्चा की गई है।
- II. सात तथा आठ वर्ष वाली प्रथम एवं द्वितीय कक्षा वाली शिक्षा। इसके लिए कक्षा ३-५ तक वाले प्रारम्भिक शिक्षा के परिसर को ही स्वीकार किया गया है। इसे तार्किक दृष्टि से स्पष्ट करते हुए माना गया है कि प्रथम एवं द्वितीय कक्षा में समान परिसर में रहने के कारण बच्चों को द्वितीय कक्षा से तृतीय कक्षा में जाने पर **अपनेपन** की अनुभूति होगी न कि **‘बेगानेपन’** की। बच्चों के मानसिक/ भावनात्मक, बौद्धिक, शारीरिक आदि के विकास की दृष्टि से यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्त्व है।

बच्चे के बौद्धिक, शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक आदि विकास एवं भारतीय सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, २०२० का यह मन्तव्य है कि जब बच्चे कुपोषित या अस्वस्थ होते हैं तो वे भली-भाँति सीखने में असमर्थ हो जाते हैं। अतः बच्चों के पोषण और शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की ओर विशेष अवधान देने की आवश्यकता है। पौष्टिक भोजन सम्बन्धी आदि कार्यों को भली-भाँति रूप से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, परामर्शदाताओं और विद्यालयी शिक्षा प्रणाली में संलग्न सामुदायिक भागीदारी के साथ-साथ शिक्षा प्रणाली के अतिरिक्त विभिन्न सतत उपायों के माध्यम से किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, २०२० का मन्तव्य है कि –

दोपहर के (मध्याह्न) भोजन कार्यक्रम को प्राथमिक विद्यालयों के साथ-साथ तैयारी कक्षाओं तक भी विस्तारित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य के विकास की निगरानी और जाँच-परीक्षण जो आँगनवाड़ी व्यवस्था में उपलब्ध हैं, उसे प्राथमिक विद्यालयों की तैयारी कक्षाओं के छात्रों को भी उपलब्ध कराया जाएगा।

इसके साथ ही –

विद्यालय के सभी बच्चे विद्यालयों द्वारा आयोजित नियमित स्वास्थ्य जाँच में भाग लेंगे और इसके लिए बच्चों को स्वास्थ्य-पत्र जारी किए जाएँगे। इसके अतिरिक्त, अनेकानेक अध्ययनों से यह भी ज्ञात होता है कि प्रातःकाल के पौष्टिक नाश्ते के बाद के कुछ घंटों में अनेक कठिन विषयों का अध्ययन अधिक प्रभावी होता है, अतः इस उत्पादक और प्रभावी समय का लाभ उठाया जा सकता है। अतः प्रातःकाल एवं दोपहर को बच्चों को क्रमशः पौष्टिक नाश्ता और भोजन दिया जाए। जहाँ पके हुए गर्म भोजन

की व्यवस्था करना संभव नहीं होगा, वहाँ सादा लेकिन पौष्टिक विकल्प, जैसे गुड़ के साथ मूँगफली/ गुड़ मिश्रित चना और/या स्थानीय स्तर पर उपलब्ध फल उपलब्ध कराए जा सकते हैं। सभी विद्यालयी बच्चों की विशेष रूप से 100% टीकाकरण के लिए विद्यालयों में नियमित स्वास्थ्य जाँच कराई जाएगी और इसकी निगरानी के लिए स्वास्थ्य-पत्र जारी किए जाएँगे। (रा. शि. नी., २०२०, २.९)

प्रायः यह सर्वविदित है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, २०२० ने भारतीय ज्ञान परम्परा को ही अपनी शैक्षिक परम्परा के आधार के रूप में स्वीकार किया है। शिक्षा नीति की स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि यह नीति प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में तैयार की गयी है। इस पूर्व-विद्यालयी शिक्षा के सन्दर्भ को लेते हुए शिक्षा नीति का मानना है कि इसमें भी उन भारतीय प्रथाओं को मान्यता दी गई है जो भारत में कई शताब्दियों से बाल्यावस्था की शिक्षा के विकास के लिए समृद्ध रही हैं और साथ ही जो स्थानीय परंपराओं में विकसित हुई हैं। साथ ही यह भी माना गया है कि इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवाचार एवं सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित नवीनतम शोध को सम्मिलित किया जाने की आवश्यकता होगी।

संकेत दिया जा चुका है कि नवीन शैक्षिक संरचना के इस प्रथम सोपान को सम्पूर्ण शिक्षा के सुदृढ़ आधार के रूप में देखा जाना चाहिए। इसे आधारभूत साक्षरता एवं गणितीय क्षमता के विकास के रूप में देखा गया है। यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं आधारभूत तत्त्व है। इसका स्पष्ट निहितार्थ शिक्षा व्यवस्था में भाषिक एवं तार्किक चिन्तन को महत्त्वपूर्ण आधार के रूप में प्रकट करना है। यह अत्यन्त स्पष्ट है कि शिक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया मूल एवं व्यावहारिक रूप से भाषा पर ही निर्भर रहती है। सभी प्रकार के ज्ञान का माध्यम भाषा ही रहती है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परम्परा के परिप्रेक्ष्य में भाषा एवं साहित्याचार्यों ने बहुत ही स्पष्ट रूप से यह माना था, और यह अनुभूत सत्य है कि भाषा ही सभी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम है –

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते।

अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ॥ (वाक्यपदीयम्)

इसी प्रकार माना गया है कि सम्पूर्ण संसार मूल रूप से भाषा रूपी ज्योति से ही आलोकित हो रहा है –

इदमन्धतमः कृत्स्नं जायते भुवनत्रयम्।

यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ॥

प्राचीन भारत में शिक्षा का अर्थ ही अक्षर ज्ञान से सम्बद्ध है –

शिक्षा स्वरवर्णोपदेशकशास्त्रम्। (ऋग्वेदप्रातिशाख्य)

यह भी माना जाता था कि जब तक भाषा पर भली-भाँति अधिकार न हो जाए तब तक गुरुकुल जाने से संकोच करना चाहिए –

सम्प्राप्ते पञ्चमे वर्षे अप्रसुप्ते जनार्दन ।

एवं सुनिश्चिते काले विद्यारम्भं तु कारयेत् ॥ (विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्)

पदक्रमविशेषज्ञोवर्णकर्मविचक्षणः ।

स्वरमात्राविभाजो गच्छेदाचार्यसंसदम् ॥ (तैत्तिरीयप्रातिशाख्य, २४)

पदे-पदे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, २०२० का स्पष्ट मानना है कि –

छोटे बच्चे अपनी घर की भाषा / मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक शीघ्रता से सीखते और समझ लेते हैं अनुसंधान स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि बच्चे 2 और 8 वर्ष की आयु के बीच बहुत शीघ्रता से भाषा सीख लेते हैं और बहु-भाषिकता से इस आयु के विद्यार्थियों को बहुत अधिक संज्ञानात्मक लाभ होता है संसार भर के कई विकसित देशों में यह देखने को मिलता है कि अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं में शिक्षित होना कोई बाधा नहीं है, बल्कि वास्तव में शैक्षिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति के लिए इसका बहुत बड़ा लाभ ही होता है संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए, हमें उस संस्कृति की भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन करना होगा । (राष्ट्रीय शिक्षा-नीति, २०२०)

शिक्षा नीति का यह भी मानना है कि राष्ट्र में अच्छे भाषा-शिक्षकों की सिद्धता अनिवार्य है । शिक्षणशास्त्र के अन्तर्गत द्वि-भाषी शिक्षकों की चर्चा की गई है । एवमेव राष्ट्र में पठन-संस्कृति के निर्माण को भी महत्त्व देने की चर्चा की गई है । भाषा के साथ-साथ गणितीय नैपुण्य के साथ विद्यार्थी के चिन्तनात्मक स्तर के विकास का प्रश्न जुड़ा हुआ है । प्राचीन भारतीय शिक्षा-व्यवस्था का इन दोनों से गहरा सम्बन्ध दृष्टिगत होता है ।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह अत्यन्त विचारणीय तथ्य है कि वैश्विक स्तर तक, विशेषतया हमारे राष्ट्र में, शिक्षा मानवाधिकार तथा बालाधिकार के रूप में एक विध्यात्मक विषय है । इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद २१(अ) के अन्तर्गत एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है –

21A. Right to education. -The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine.

साथ ही, बच्चों एवं महिलाओं के विकास को ध्यान में रखते हुए इनके अधिकारों के संरक्षण के सन्दर्भ में इन दोनों की सुरक्षा, कल्याण आदि हेतु विशिष्ट प्रावधान बनाने की चर्चा की है –

15. Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth —

(3) nothing in this article shall prevent the State from making any special provision for women and children.

बच्चों की चर्चा करते हुए विशेष रूप से माना गया है कि स्वस्थ रूप से गरिमापूर्ण जीवन जीने एवं शोषण आदि से संरक्षण के लिए संविधान के अनुच्छेद ३९ में नीति आदि बनाने की चर्चा की गई है –

39. Certain principles of policy to be followed by the State.—

(f) The State shall, in particular, direct its policy towards securing— that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment.

नीति में इस तथ्य का विशेष उल्लेख किया गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के पाठ्यक्रम और शिक्षण-विधि का उत्तरदायित्व सीधे मानव संसाधन विकास मंत्रालय का होगा ताकि प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से पूर्व-प्राथमिक विद्यालय तक इसकी निरंतरता सुनिश्चित की जा सके और शिक्षा के मूलभूत पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके। प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-भाल और शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम के आयोजन एवं क्रियान्वयन हेतु दायित्व का निर्वहन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जन-जातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के सुचारु रूप से एकीकरण एवं सतत मार्ग-दर्शन के लिए एक विशेष संयुक्त कार्य बल का गठन किया जाना चाहिए। इसके लिए शिक्षक-प्रशिक्षण का दायित्व मुख्य रूप से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् को सौंपा गया है। इसी के साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक रूपरेखा की सिद्धता का दायित्व भी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् को ही सौंपा गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, २०२० का मानना है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास, देखभाल के लिए गुणवत्ता से परिपूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को शीघ्रातिशीघ्र, निश्चय ही वर्ष 2030 से पूर्व, उपलब्ध किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले सभी बच्चे विद्यालयी शिक्षा के लिए सम्पूर्ण भाँति से तैयार हैं। इसे चरणबद्ध पद्धति से सब तक पहुँचने, विशेषतया पिछड़े हुए एवं आदिवासी क्षेत्रों में, के मार्ग का उल्लेख किया गया है। एतदनुसार विस्तृत और सशक्त प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास एवं देखभाल शिक्षा से सम्बद्ध संस्थानों द्वारा इस प्रणाली को लागू किया जाएगा। शिक्षा नीति के अनुसार इस कार्य को निम्नलिखित रूप से सम्पन्न किया जाएगा –

- पहले से ही प्रायः विस्तृत और सशक्त रूप से अकेले चल रहे आंगनवाड़ियों के माध्यम से
- प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनवाड़ियों के माध्यम से
- पूर्व प्राथमिक विद्यालयों, जो कम से कम 5 से 6 वर्ष पूर्ण करेंगे, और प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित हैं के माध्यम से
- अकेले चल रहे पूर्व-विद्यालयों के माध्यम से

ये सभी विद्यालय ईसीसीई के पाठ्यक्रम और शिक्षण में प्रशिक्षित कर्मचारियों/ शिक्षकों को भर्ती करेंगे ।

इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को एक सामाजिक क्रान्ति के रूप में देखा जाना चाहिए । शिक्षा नीति की दृष्टि में इसमें निवेश करने का अभिप्राय होगा कि देश के सभी बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के योग्य बनाना जिससे सभी बच्चों को शैक्षिक प्रणाली में भाग लेने और उन्नति करने हेतु समान अवसर प्राप्त करने के अवसर देना । इसे **मानवीय एवं बालाधिकारों की सम्पूर्ति की प्रक्रिया** कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी ।

सभी भारतीय और स्थानीय भाषाओं में दिलचस्प और प्रेरणादायक बाल साहित्य और सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय और स्थानीय पुस्तकालयों में बड़ी मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी जिसके लिए आवश्यकतानुसार उच्चतर गुणवत्ता के अनुवाद (आवश्यकतानुसार तकनीकी सहायता से) भी करवाए जाएंगे । देश भर में पढ़ने की संस्कृति के निर्माण के लिए सार्वजनिक और विद्यालय पुस्तकालयों का विस्तार किया जाएगा । ‘डिजिटल’ पुस्तकालय भी स्थापित किए जाएंगे । गांवों में विद्यालय पुस्तकालय की स्थापना से समुदाय को भी लाभ होगा जो विद्यालयी समय के पश्चात् उसका लाभ ले सकते हैं । ‘बुक क्लब’ के सदस्य इन विद्यालयी/ सार्वजनिक पुस्तकालय में मिल सकते हैं जिससे पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा । एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जाएगी और सभी स्थानों, भाषाओं, स्तरों और शैलियों में पुस्तकों की उपलब्धता, पहुँच, गुणवत्ता और पाठकों को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पहल की जाएगी ।

(रा.शि.नी., २०२०, २.८)

यह भी सच है कि बच्चा स्वयं में एक पुस्तक है, जिसे शब्दशः पढ़ना होगा ।

प्राचीन भारतीय परम्परा/ शिशुः/ बालः/ पोगण्डः/

बालः > ऊनशोडशवर्षीयः कुमारः, त्रिविधाः बालाः < क्षीरपाः, क्षीरान्नादाः, अन्नादाः इति । तेषु
संवत्सरपराः क्षीरपाः, द्विसंवत्सरपराः क्षीरान्नादाः, अन्नादाः, परतोऽन्नादाः ।

शिशुः पाकोऽर्भकः डिम्भः पृथुकः शावकः शिशुः ।

स्वप्न-लोक/ प्रकृति का संगीत/

प्रत्येक बच्चा चित्रकार है/

टैगोर/ कृष्णमूर्ति/ गांधी/ गिजुभाई/ मोण्टेसरी/ ड्यूई/ रूसो/ फ्रेरे/ फ्रोबेल/ पियाजे/